

निविदा की शर्तें हेतु मार्गदर्शित प्रारूप

विषय सूची -

खंड सं.	विवरण	पेज
खंड-I	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	2
खंड-II	निविदा दाता को निर्देश (आईटीबी) अ. महत्वपूर्ण तिथियाँ/ सामान्य जानकारी ब. निविदा दस्तावेज स. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन द. अनुबंध का पुरस्कार ई. अन्य नियम और शर्तें अनुलग्नक 1 से 7	3-4 5-7 8 9-10 11-12 13-19
खंड-III	सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर अन्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट तैयारी हेतु कच्चा एवं पका गोबर क्रय	20

खंड-I
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर मध्यप्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/ई-टेंडरिंग/2025-26 दिनांक 12.08.2025 वनमण्डल अधिकारी पदेन वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अन्तर्गत इकाई दक्षिण सागर/उत्तर सागर/दमोह/छतरपुर/पन्ना एवं टीकमगढ़ में संचालित 21 रोपणियों में पौधा तैयारी हेतु वर्मी कम्पोस्ट तैयारी हेतु कच्चा एवं पका गोबर क्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का विवरण	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
	सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर अन्तर्गत इकाईयों की रोपणियों में वर्मी कम्पोस्ट तैयारी हेतु कच्चा एवं पका गोबर क्रय	100000/-	1000/-

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 13.08.2025 को 10.00 AM से दिनांक 26.08.2025 को 05.00 PM तक केवल ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियाँ लागू होगी।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक 19.08.2025 समय 02.00 PM कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले सकते हैं। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने ई-टेंडर फार्म खरीदे हैं।
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल।
<https://www.mptenders.gov.in>

Gaurav Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

खंड-II
निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियाँ/सामान्य जानकारी -

क्र.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर अन्तर्गत इकाई दक्षिण सागर/उत्तर सागर/दमोह/छतरपुर/पन्ना एवं टीकमगढ़ में संचालित 21 रोपणियों में पौधा तैयारी हेतु वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयारी बावत कच्चा एवं पका गोबर क्रय
2	ई निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	/ 2025
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेजों की लागत	1000/- प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	खंड I अनुसार
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमण्डल अधिकारी पदेन वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	320600/-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	10000000/-
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	19.08.2025 समय 02.00 PM
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	26.08.2025 समय 05.00 PM
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	28.08.2025 समय 05.00 PM
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	01.09.2025 समय 05.00 PM
12	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://www.mptenders.gov.in पर करें

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
3. वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर (निविदाकर्ता) किसी भी समय बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध(आर.एफ.पी.) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. प्रति निविदाकार एक निविदा -

- 4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।
- 4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएंगी।
5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई दावा नहीं किया जाएगा।
6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्च निविदाकार को वहन करना होगा।

Ganwan-Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

(ब) निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे –
 - I) जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
 - II) पैन कार्ड
 - III) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
 - IV) 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक-1
 - V) पूरा अनुलग्नक-2
 - VI) पूरा अनुलग्नक-3
 - VII) सी.ए. प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र
 - VIII) दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण
 - IX) "एमएसएमई प्रमाण पत्र" यदि ईएमडी छूट मांग गई है
 - X) "स्टार्टअप इंडिया प्रमाण पत्र" यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्नक-4 खंड (I) और (II))
8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जाँच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
9. निविदा पूर्व बैठक (जहाँ लागू हो)

जहाँ भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है –

 - 9.1 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि, और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।
 - 9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालियों के जबाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।
 - 9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।
 - 9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यांकर निधि (ईएमडी)

10.1 सत्यांकर निधि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

10.2 सत्यांकर निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफल सत्यांकर निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकर निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

10.5 सत्यांकर निधि जब्त की जा सकती है -

10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो।

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकर निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

11. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

13. पूर्व योग्यता मापदंड अनुलग्नक-4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।
14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएगी।
15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर की भौगोलिक सीमा अन्तर्गत इकाई दक्षिण सागर/उत्तर सागर/दमोह/छतरपुर/पन्ना एवं टीकमगढ़ में संचालित 21 रोपणियों में वर्मी कम्पोस्ट तैयारी हेतु कच्चा एवं पका गोबर प्रदाय करने बावत संलग्न सूची में दर्शित नर्सरीवार बी.ओ.क्यू. में दरे पृथक-पृथक दी जावे। निविदा मूल्य में जी.एस.टी., अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।
18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक-1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा, काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Gaurav Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. निविदाकर्ता प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जाँच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जाँच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
(गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूपण संबंधी मुद्दे)
22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।
23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा की अनुत्तदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
24. ई-निविदा प्रक्रिया में 02 निविदाकारों की दरे एक समान पाये जाने की स्थिति में सामग्री उनकी सहमति या दोनों निविदाकारों को समान दरो को दोनों निविदाकारों की दरे स्वीकृत की जावेगी।
25. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
26. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा – यदि कोई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।
27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

Gaurav - Jais

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

(द) अनुबंध का पुरस्कार

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाले फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।
29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक-5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग II "महत्वपूर्ण तिथियाँ/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में सहायक वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालाँकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित-2022) के अनुरूप की जाएगी।

31. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं -

- I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति /वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
- II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
- III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर उत्तरदायी है।
- IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

32. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

- 32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक-7 में दिया गया है।
- 32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किय जाएगा।
- 32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
33. निविदाकर्ता इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध की पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।
34. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

Ganesh Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

ई. अन्य नियम और शर्तें

35. अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और उसी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
36. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
37. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।
- 37.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।
- 37.2 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
- 37.3 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
38. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता को पास होगा।

39. निविदा स्वीकृत होने पर कार्य आदेश जारी करने के एक सप्ताह के भीतर सामग्री प्रदाय करना होगा। विलम्ब होने पर बिना सूचना के ई निविदा निरस्त की सकेगी।
40. निविदा के खंड III में दर्शित मानक अनुसार सामग्री प्राप्त न होने की स्थिति में अस्वीकृत सामग्री प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर तत्काल मौके से हटाना होगी। ऐसा न करने की स्थिति में होने वाली नुकसानी के लिए निविदाकार स्वयं जबाबदार होगा।
41. सामग्री का टी.डी.एस. बिल, सामग्री के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के उपरांत ही भुगतान कार्रवाई की जावेगी।
42. सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर अन्तर्गत इकाई दक्षिण सागर/उत्तर सागर/दमोह/छतरपुर/पन्ना एवं टीकमगढ़ में संचालित 21 रोपणियों में वर्मी कम्पोस्ट तैयारी हेतु कच्चा एवं पका गोबर प्रदाय करने बावत संलग्न सूची में दर्शित नर्सरीवार बी.ओ.क्यू. में दरें पृथक-पृथक दी जावे।
43. सामग्री का सत्यापन सहायक वनसंरक्षक/वनविस्तार अधिकारी द्वारा किया जावेगा। सत्यापन में प्राप्त सामग्री अनुसार ही राशि का भुगतान फर्म के खाते में किया जावेगा।
44. वनमण्डल अधिकारी पदेन वनसंरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर अन्तर्गत रोपणी में आदेश अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री पहुँचानी होगी।
45. निविदाकार द्वारा ई-निविदा प्रक्रिया में समस्त दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य किये जावेगे ऑफलाइन मोड में कोई भी दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे।
46. सी.ए. द्वारा प्रमाणित सर्टीफिकेट में यूडीआईएन नंबर होना अनिवार्य है एवं ऑनलाइन माध्यम से सत्यापित किया जावेगा।
47. एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी तकनीकी निविदा में पात्रता होने पर वित्तीय निविदा हेतु मान्य की जाकर दरें स्वीकृत की जावेगी।
48. किसी भी तरह के विवाद के लिये न्यायालय क्षेत्र सागर न्यायालय अन्तर्गत ही रहेगा।

Ganesh Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

अनुलग्नक-1

प्रारूप - स्वघोषणा - काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र
रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

सेवा में,

वनमण्डल अधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर
जिला सागर (म0प्र0)

महोदय/महोदया,

दिनांक _____ के निविदा संदर्भ संख्या _____ के
प्रत्युत्तर में, _____ के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम
घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म _____ का रिकार्ड
वेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चितकाल के लिए
या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म
_____ निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र
सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से
काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले
बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जावेगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई
सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद

निविदाकार का नाम -

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता -

संगठन की मुहर -

दिनांक -

स्थान -

अनुलग्नक-2

प्रारूप-निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम _____
2. पिता का नाम _____
3. स्थाई पता मकान क्रमांक _____
गली क्रमांक _____
स्थान _____
जिला _____ पिन कोड _____
4. कार्यालय का पता _____
गली क्रमांक _____
स्थान _____
जिला _____ पिन कोड _____
5. सत्यांकार राशि (ईएमडी) का विवरण प्रकरण - एफडीआर/बैंक गारंटी/_____
संख्या दिनांक _____
राशि _____
बैंक का नाम _____
6. जी.एस.टी. नंबर _____

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं _____
पिता/पति _____

घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्तान जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा, मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

प्रारूप-सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम ----- जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा ----- सामाजिक वानिकी वृत्त के अर्न्तगत आने वाला सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम ----- सामाजिक वानिकी वृत्त सागर के अन्दर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं। मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-4

पूर्व योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए -

- 1) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25% से कम नहीं होना चाहिए।
- 2) संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

Gawar Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर

अनुलग्नक-5

स्वीकृति पत्र

क्र./
प्रति,

दिनांक/

मेसर्स _____

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय :

//0//

प्रिय श्री _____

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें की दी मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है --

क्र.	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रूपये में)

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें --

(क) रूपये _____ (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रूपये _____ केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी, _____ के नाम पर प्रतिज्ञा।

(ख) अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक-6
संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी -
 - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा।
 - ख. निविदा और सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं की वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा।
 - घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल निविदा के मामले में)।
 - ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए।
 - च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और
 - छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ताओं को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।
5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है) जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें -

क्र.	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

अनुलग्नक-7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक ————— को वनसंरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर जिला सागर (म.प्र.) और मेसर्स ————— (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे निविदाकार कहा जाएगा के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर म.प्र. (अनुबंध का नाम वर्मी कम्पोस्ट तैयारी हेतु कच्चा एवं पका गोबर क्रय और पहचान संख्या _____) (जिसे आगे कार्य कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है -

1. इस अनुबंध में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है। दिनांक 31.03.2026 तक मान्य रहेगा।
4. सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात निर्धारित समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने अथवा प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक स्तर की न होने की स्थिति में वनसंरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर द्वारा सफल निविदाकार की निविदा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी एवं सत्यंकार की राशि जप्त की जावेगी तथा फर्म को दो वर्षों के लिए कालीसूची में दर्ज किया जावेगा, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकार से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमण्डल अधिकारी पदेन वनसंरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
5. निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री प्रदाय न होने पर या सही नहीं पाये जाने पर तो प्रदायकर्ता को स्वयं के व्यय पर एक सप्ताह के भीतर अस्वीकृत सामग्री का मौका/स्थल से वापस उठाना होगा।
6. प्रदाय की जाने वाली मात्रा अनुमानित है, इसमें घट-बढ़ हो सकती है, जिसके लिये निविदाकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी। भुगतान सामग्री की वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जावेगा।
7. सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर वन विस्तार इकाई दक्षिण सागर/उत्तर सागर/दमोह/छतरपुर/पन्ना/टीकमगढ़ में उनके द्वारा अधिकृत शासकीय सेवकों को कार्यस्थल/गंतव्य स्थल वृत्त के अंतर्गत स्थित रोपणियां हैं जिसकी सूची निविदा फार्म में संलग्न है पर प्रदाय करना होगी।
8. प्रदाय आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह से अधिक अथवा असाधारण विलम्ब होने पर आवश्यक सामग्री का क्रय तत्समय प्रचलित बाजार दर पर अन्य प्रदायकर्ता से क्रय कर लिया जावेगा तथा ऐसे में होने वाले अधिक व्यय की वसूली निविदाकार से की जावेगी।

9. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयक से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 17 की धारा 51 के अन्तर्गत नियमानुसार राशि जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. के रूप में काटी जावेगी।
10. सामग्री की गुणवत्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो (ISI) के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होना चाहिये।
11. किसी भी परिस्थिति में कार्य अन्य व्यक्ति को सबलेट करना/प्रदान करना मान्य नहीं होगा। ऐसा पाये जाने पर निविदा के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
12. सामग्री का भौतिक सत्यापन सहायक वनसंरक्षक/वनविस्तार अधिकारी द्वारा किया जावेगा। सत्यापन मात्रा अनुसार भुगतान ई पेमेन्ट के माध्यम से किया जावेगा। अतः संबंधित फर्म का खाता क्रमांक फर्म के साथ संलग्न किया जाये भुगतान संबंधित फर्म के खाते में ही किया जावेगा। निविदाकार फर्म का ही खाता मान्य किया जावेगा।
13. प्रथम निविदा कार की निविदा स्वीकृत होने के उपरांत यदि निविदा कार के द्वारा सामग्री प्रदाय करने पर अनावश्यक विलंब किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम दर के निविदाकार को सामग्री प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा जिसके लिये अद्योहस्ताक्षरकर्ता स्वतंत्र रहेंगे।
14. सामग्री प्रदायकर्ता को शासन के द्वारा वर्तमान में प्रचलित समस्त कर प्रदाय प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. सामग्री प्रदाय हेतु अन्य विभागों की फीस, शुल्क प्रदायकर्ता द्वारा दी जावेगी, इस कार्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी।
16. प्रदाय की गई सामग्री की पैकिंग/रखरखाव इस प्रकार का होना चाहिये कि सामग्री सुरक्षित तौर पर अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच जाये।
17. निविदाकार को स्पष्ट रूप से पत्र व्यवहार का पता, मोबाईल नंबर, ई-मेल आई.डी., टेलीफोन नंबर आदि की जानकारी निविदा पत्र में अंकित होना अनिवार्य है। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो तत्काल ई-मेल द्वारा सूचित करना होगा।
18. सामग्री के परिवहन के दौरान होने वाले संभावित नुकसान के लिये बीमा की जबाबदारी निविदाकार की होगी।
19. सामग्री जैसे मिट्टी एवं अन्य सामग्री में रायल्टी का भुगतान निविदाकार को स्वयं करना होगा एवं रायल्टी की रसीद उपलब्ध कराना होगी।
20. मिट्टी पर नियमानुसार void घटाकर मात्रा का आंकलन कर भुगतान किया जायेगा।
21. निविदाकार को सूचित हो कि किसी ऐसी दशा में निविदा से संबंधित किसी नियम के संबंध में कोई अस्पष्टता या भ्रम हो तो ऐसी स्थिति में चाहे निविदा में उस संबंध में कोई संदर्भ मौजूद हो या ना हो उसकी स्वाभाविक व्याख्या इस प्रकार से होगी की उसका लाभ विभाग को मिले।
22. विवाद (आर्बीट्रेशन) की स्थिति उत्पन्न होने पर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी म.प्र. भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
23. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई सत्यंकार की राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
24. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डल अधिकारी पदेन वनसंरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर के पास सुरक्षित होगा।
25. सामग्री के क्रय आदेश आवश्यकतानुसार वनविस्तार अधिकारियों की मांग पत्र अनुसार दिये जायेंगे जिसमें सामग्री प्रदाय करने हेतु एफ.ओ.आर. स्थल दर्शाया जावेगा।
26. सामग्री प्राप्ति की पावती देने हेतु संबंधित वनविस्तार अधिकारी/रोपणी प्रभारी ही सक्षम होंगे।
27. प्रदाय आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सामग्री मौके पर पहुँचाना होगा। विलम्ब होने पर आवश्यक सामग्री का क्रय तत्समय प्रचलित बाजार दर पर अन्य प्रदायकर्ता से क्रय कर लिया

जावेगा तथा अधिक व्यय की राशि की निविदाकर्ता से वसूल की जायेगी विलंब से प्रदाय सामग्री पर प्रति सप्ताह 2% की दर से पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगी। किसी भी परिस्थिति में कार्य अन्य व्यक्ति को सबलेट करना/प्रदान करना मान्य नहीं होगा। ऐसा पाये जाने पर निविदा के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। यदि निर्धारित गंतव्य स्थल सामग्री नहीं पहुँचायी जाती तो परिवहन व्यय निविदाकर्ता से वसूल किया जायेगा।

28. सामग्री का भुगतान सत्यापन एवं बिल में दर्ज सामग्री की पावती के उपरांत किया जायेगा।
29. निविदा की अवधि के दौरान यदि किसी कारणवश सामग्री के बाजार मूल्य में कोई अप्रत्याशित वृद्धि होती है तब भी निविदाकर्ता को निविदा में लेख की गई दर पर ही सामग्री प्रदाय करना होगी।
30. प्रदाय की गई सामग्री का जी.एस.टी. रिटर्न में दर्शाना अनिवार्य है एवं मांगने पर जी.एस.टी. रिटर्न की कॉपी प्रस्तुत करना पड़ेगी।
31. सामग्री पर लगने वाले समस्त करों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा।
32. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा होने वाली क्षति की राशि निविदाकर्ता से वसूल कर निविदाकर्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात्

i) स्वीकृति पत्र

ii) निविदाकारों को निर्देश

iii) अनुलग्नक 1 से 3

iv) बिल की मात्रा (बी.ओ.क्यू.)

v) निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर ----- इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी।

उक्त ----- द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त----- की उपस्थिति में

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर (म.प्र.)

निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर

खंड-III

प्रदाय की जाने वाली सामग्री का स्पेसिफिकेशन एवं गुणवत्ता के मानक

सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर अन्तर्गत इकाईयो की रोपणियों में वर्मी कम्पोस्ट तैयारी हेतु प्रदाय की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता एवं मानक स्तर की होना आवश्यक है। गोबर में कचरा, पॉलीथिन, मिट्टी, मुरम इत्यादि अन्य अशुद्धियाँ नहीं होना चाहिए।

क्र.	सामग्री का विवरण	निष्पादन राशि (रु. में)
1	सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर की इकाईयो की रोपणियों में वर्मी कम्पोस्ट तैयारी हेतु कच्चा एवं पका गोबर क्रय करने बावत -	
	इकाई का नाम	रोपणी का नाम
1	दक्षिण सागर	सिरौंजा
2		पथरिया
3		चौरई
4	उत्तर सागर	अण्डेला
5		चकरा
6		बहरोल
7		अमरमऊ
8		पगारा
9	दमोह	नोहटा
10		सांगा
11		हथनी
12		गोहदर
13	छतरपुर	पाण्डाझिर
14		देवरा
15		गंज
16	पन्ना	विश्रामगंज
17		अमानगंज
18		आमा
19		संजय
20	टीकमगढ़	कुण्डेश्वर
21		पिपरौट
	योग	320600/-

Ganesh Jain

वनमण्डलाधिकारी पदेन वनसंरक्षक,
सामाजिक वानिकी वृत्त सागर

//सा.वा. वृत्त सागर की इकाई अन्तर्गत आने वाली रोपणियों के नाम
जहाँ सामग्री प्रदाय की जाना है//

क्र.	जिले का नाम	वनविस्तार इकाई का नाम	रोपणी का नाम
1	सागर	इकाई दक्षिण सागर	पथरिया
2			सिरौजा
3			चौरई
4		इकाई उत्तर सागर	चकरा
5			अण्डेला
6			बहरोल
7			अमरमऊ
8			पगारा
9	दमोह	इकाई दमोह	नोहटा
10			सांगा
11			हथनी
12			गोहदर
13	छतरपुर	इकाई छतरपुर	पाण्डाझिर
14			गंज
15			देवरा
16	पन्ना	इकाई पन्ना	संजय
17			विश्रामगंज
18			आमा
19			अमानगंज
20	टीकमगढ़	इकाई टीकमगढ़	कुण्डेश्वर
21			पिपरौट